मनफूल | राजकुमार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
27.8.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना तथा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2073-76 एवं तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के आदेश दिनांक 8.2.21 का अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दी में विवादित आराजी पर अपीलांट मनफूल का 1/2 भाग खातेदारी में दर्ज है। अपीलाधीन निर्णय खातेदार अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जबकि प्रतिवादी को सुना जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय धारा 212 RT ACT के तीनों बि-दूओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में आदेश 39 नियम 3 क में दी गई समयावधि में उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने हेतु तहत न्याया० उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ को निर्देशित किया जाना न्याय संगत समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.2.2021 उनवान राजकुमार बनाम मनफूल का प्रचलन आराजी खसरा नम्बर 1341, 1344, 1481, 1555/2537, वाके ग्राम गण्डाला त. बहरोड़ एवं खसरा 1715, 2167 वाके ग्राम --- लगातार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिक

अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	नम्बर 242, 547 वाके ग्राम चकमुरादपुर तहसील बहरोड में से अपीलांट के 1/2 हिस्से की हद तक स्थगित किया जाता है। शेष के सम्बन्ध में तहत अदालत का आदेश यथावत रखते हुये तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी, बहरोड को आदेशित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 क में दी गई समयावधि तीस दिवस के अन्दर धारा 212 RT ACT के प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलांट नियत दिनांक को वास्ते सुनवाई तहत अदालत में उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे।
	27/8/2024
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर